


19.2.2026 वकील आजी उपस्थित। विधानी तत्परीय।
 वकील आजी की वक्त कृति गये। डोमने
 वक्त निवेदन किया कि विवाहित व्यक्ति ने
 आजी का 1/5 हिस्सा भी तत्परीय हिलेनुसार
 मोफे पर कलजा- फामा यला की वक्त है।
 तत्परीय आत लाइठ का र्क के दोरने आजी
 का हिस्सा 1/5 के लम्बा 42/20 हिस्सा
 गलन इ-मफ 32 दिया उकी। अतः आजी
 का वास्तविक हिस्सा 1/5 है। किले शारिधालक
 तत्परीय आजी 325 मोका नरिपोरि दे स्वीकार
 किया है। अतः आजी का आडेय का स्वीकार
 किया जाकर शारिधालक मोफा नरिपोरि का 1/5 के
 आडेय पाठिन करे।


 उपखण्ड अधिकारी
 (S.D.O.) बालातरा

इन्हें वसील पानी की वलक कुनी होर
वलक पर मन्त्र कीसा तका पत्रावली का गाम्भीर्य
रूपे अन्वेषण किया / अतः पादा कि विधानी
तस्मीन्नाह पावेनि ने अपनी मौका चांग
दिपरी में स्वीकार किया है, कि विवाहित आर्या
में पानी का विधान किस्सा ५२० अशुद्ध
फर्म हो रक्का है / अतः पानी का पालक
किस्सा ५५ है / अतः कुमन्नी कले को सुविधा
होना अंशुषा को गते है / विधानी अन्वेषण
तस्मीन्नाह के उपलक्षण गरी होने के कारण अन्वेषण
आवधि वारित हो रक्की है / अतः अन्वेषण
होता है कि पानी के आवेदन - पत्र को
स्वीकार कर आपे में विधानी की मंत्र (वीर्य) है

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालातरा

74/2025

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुकम
की तामील में जारी हुए

स्की ब्रदर के धारणी का आवेदन
या सूचीकार बिना व्यापक ब्रदर-पतास
तस्कील पालेही की खलत मन्पर 187
के सम्बन्ध रिफॉर्ड (व्यापकी) के इन्फार्म
अबुदुल कल्ल 420 के एजान्ट पर धारणी
का बुदुल रिस्सा 1/5 फुर्क मले के अन्देश
कि 0 आते ये तस्कील पालेही को
आवेदीन बिना जाता है कि तद्नुसार
सम्बन्ध रिफॉर्ड के निम्नाहुता कानून
ब्रदर बिना जात सुनिश्चय करतें।
पत्रावली केकल मुताब होकर दालील
दस्तावेज हों।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा